भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-55

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत निर्यात संबंधी नियमों में संशोधन

55. श्री मनीष तिवारी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में विद्युत निर्यात संबंधी नियमों में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करने में जल्दबाजी और तात्कालिकता दिखाए जाने के क्या कारण और औचित्य है;

(ग) देश में वर्तमान में कार्यशील ऐसे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो अपना पूरा विद्युत उत्पादन पड़ोसी देशों को बेच रहे हैं; तथा

(घ) सरकार द्वारा इस बात को किस प्रकार उचित ठहराती है कि इन संशोधनों से देश के विद्युत संयंत्रों को लाभ मिलेगा?

उत्तर

माननीय विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

'विद्युत निर्यात संबंधी नियमों में संशोधन' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 55 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2018 में पड़ोसी देशों के साथ *विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिए दिशानिर्देश* जारी किए हैं, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के आयात/निर्यात को सुविधाजनक बनाया जा सके, मजबूत विद्युत अवसंरचना विकसित की जा सके और पारदर्शी, सुसंगत और पूर्वानुमानित विनियामक प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उत्पादन स्टेशनों को पड़ोसी देशों की पारेषण प्रणाली से जुड़ने के लिए समर्पित पारेषण लाइन बनाने की अनुमति देते हैं।

भारत, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) पहल के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार विद्युत इंटरकनेक्शन को मजबूत कर रहा है, जिसका उद्देश्य आरक्षित आवश्यकताओं को कम करना, विद्युत की लागत कम करना और ऊर्जा पारगमन का समर्थन करना है। जुलाई, 2023 से ही सरकार ने चूक की घटनाओं, जिसमें पड़ोसी देशों को बिजली की आपूर्ति करने वाले भारतीय उत्पादन स्टेशनों को भुगतान में देरी भी शामिल है, पर ध्यान दिया। यदि इसका समाधान नहीं किया गया, तो संभावित रूप से ऋणदाताओं पर असर पड़ सकता है।

तदुपरांत, मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने अगस्त 2024 में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

(i) पूर्ण/आंशिक क्षमता की निरंतर गैर-शेड्यूलिंग या विलंबित भुगतान सहित चूक के मामले में, सरकार ऐसे उत्पादन स्टेशनों को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे सकती है।
(ii) कोयला, गैस, हाइड्रो या नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को पड़ोसी देशों को निर्यात किया जा सकता है। ईंधन के स्रोत अब भी विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पावर एक्सचेंज के माध्यम से सामूहिक लेनदेन से प्राप्त विद्युत का अब निर्यात किया जा सकता है।

(ग) : उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल को विद्युत निर्यात किया जा रहा है। इन निर्यातों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) झारखंड स्थित गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तापविद्युत संयंत्र (1496 मेगावाट) से पूरी विद्युत की आपूर्ति बांग्लादेश को की जाती है।
(ii) आंध्र प्रदेश स्थित सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड परियोजना (450 मेगावाट), दामोदर घाटी निगम (300 मेगावाट) और एनटीपीसी स्टेशन (250 मेगावाट) से बांग्लादेश को विद्युत की आपूर्ति की जाती है।
(iii) नेपाल (1004 मेगावाट तक), भूटान (1150 मेगावाट तक) और म्यांमार (3 मेगावाट) को भी नियमित रूप से विद्युत निर्यात की जाती है।

(घ) : इन संशोधनों का उद्देश्य नियामक रूपरेखा में पारदर्शिता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ाना और पड़ोसी देशों के साथ विद्युत व्यापार करने की इच्छुक उत्पादक कंपनियों के लिए अधिक अनुकूलन प्रदान करना है। सीमा पार अंतर-संपर्क को मजबूत करने के अलावा, इन संशोधनों से पड़ोसी देशों में कम मांग की अवधि के दौरान घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा और संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जा सकेगा।

****